

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

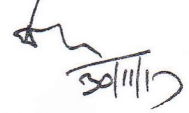
दिनांक :- 30-11-13

अधि.सं.-02/स्था.(पद.)-03-12/2013-7182 / नगर विकास विभाग के पत्रांक 4694 दिनांक 30.11.13 से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में जल संसाधन विभाग में कार्यरत निम्न सहायक अभियंताओं (नियमित/चालू प्रभार) की सेवा उसी रूप में अगले आदेश तक नगर विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री जितेन्द्र कुमार जैसल/ जे०-9036/29.6.70/ वाराणसी	सहायक अभियंता (चालू प्रभार), केन्द्रीय भण्डार एवं शिविर अवर प्रमण्डल सं०-1, चाँडिल।	सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को।	
2.	श्री जगदीश प्रसाद यादव/ जे०-7820/02.12.62/ समस्तीपुर	प्राक्कलन पदाधिकारी, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट।	सहायक अभियंता के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को।	
3.	श्री गंगा राम ठाकुर/ 4530/25.10.63/ पाकुड़	सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमण्डल सं०-03, घाटशिला।	सहायक अभियंता के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को।	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



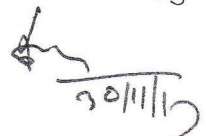
(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :- 7182 राँची, दिनांक :- 30-11-13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।



(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

7182

रॉची, दिनांक :-

30-11-13

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी मुख्य अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7बो, 7यो, एवं 8ए, 8बो. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार एक सप्ताह के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।


30/11/13

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)।


30/11/13